भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या **93A/2017-18**

1. सीता हेम्ब्रम 2. नोगा हेम्ब्रम बनाम **मंगल टुडू**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15.9.17		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 621 दिनांक 18.08.17 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 93 A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. सीता हेम्ब्रम पति स्व0 नुना हेम्ब्रम 2. नोगा हेम्ब्रम पिता–स्व0 चरण हेम्ब्रम, ग्राम–पोखरिया, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक हेतु केता मंगल टुडू पिता–स्व0 धनु टुडू ग्राम–पोखरिया, थाना–राजनगर, जिला– सरायकेला–खरसावाँ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। केता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
पोखरिया	390	35	373/अ0	0.04.5ए0
			403/अ0	0.01.5ए0
			404/अ0	0.00.6ए0
			कुल	**0.06.6 ए0**

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि आवेदक क्रमांक 1 के ससुर एवं क्रमांक 2 के पिता चरण हेम्ब्रम के नाम से हाल सर्वे खतियान एवं पंजी –II में दर्ज है। बिक्री की जाने वाली भूमि में विक्रेता क्रमांक 1 का हक एवं हिस्से में 2.71 एकड़ तथा विक्रेता क्रमांक हक एवं हिस्से में 2.71 एकड़ कुल 5.42 एकड़ भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिक्री हेतु आवेदन किये हैं, जिसमे से 0.06.6 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 5.35.4 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं केता एक ही मौजा, थाना राजनगर, जाति 'संथाल' जो अनुसूचित जन जाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.06.6 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।